# मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
## प्रधान कार्यालय, 4–ए, गोखले मार्ग, लखनऊ।

पत्रांक : 7849/तकनीकी/मविविनिलि/एस दिनांक: 26.5.2010

**विषयः**– 40 मीटर से अधिक दूरी पर विद्युत संयोजन निर्गत करना।

## कार्यालय ज्ञापन

एतद् द्वारा 40 मीटर से अधिक दूरी पर अधिकतम 50 किलोवाट विद्युत भार के विद्युत संयोजन निर्गत करने के प्रकरणों के निस्तारण हेतु सिस्टम लोडिंग मद से व्यय की पूर्ति के लिये विद्युत नियामक आयोग द्वारा अनुमोदित कास्ट डाटा बुक 2010–11 के चैप्टर –5 (लाइन चार्जेज) के अनुसार मुख्य अभियन्ता (वितरण) को वर्ष 2010–11 में प्रशासनिक एवं वित्तीय अनुमोदन निर्गत करने हेतु निम्न प्रतिबन्धों के अनुपालन सहित प्राधिकृत किया जाता है :–

1. 40 मीटर लाइन विस्तार बनाने के लिये कम से कम 3 विद्युत संयोजन निर्गत किये जायेंगे।
2. न्यूतम तीन आवेदकों के समूह द्वारा विद्युत संयोजन लेने हेतु पूर्ण शूल्क पूर्व में जमा किया जायेगा। जिसका विवरण कार्यालय ज्ञापन में अंकित करना अनिवार्य होगा।
3. यही प्रक्रिया उपरोक्त के अतिरिक्त तीन अन्य आवेदकों के समूह के संयोजन में भी अतिरिक्त 40 मीटर लाइन निर्माण हेतु लागू होगी।
4. कार्यालय ज्ञापन निर्गत के उपरान्त महाप्रबन्धक वित्त, मध्यांचल डिस्काम उपरोक्त लाइन विस्तार व्यय की धनराशि सम्बन्धित खण्ड को नियमानुसार उपलब्ध करायेगें।

26/05/10

पार्थ सारथी सेन शर्मा
प्रबन्ध निदेशक

**प्रतिलिपि** :–

1. मुख्य अभियन्ता (वितरण), लेसा/लखनऊ/बरेली/फैजाबाद।
2. मुख्य अभियन्ता, वाणिज्य/सामग्री प्रबन्ध, मध्यांचल डिस्काम, लखनऊ।
3. महाप्रबन्धक (वित्त), मध्यांचल डिस्काम, लखनऊ।
4. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत भण्डार मण्डल, बी–21 एच रोड, महानगर विस्तार, लखनऊ।
5. कट फाइल ई–1/ई–2

26/05/10

(पार्थ सारथी सेन शर्मा)
प्रबन्ध निदेशक

344 ag